खानों में श्रमिकों की उच्च मृत्यु दर

2815. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की खानों में श्रमिकों की दुर्घटनावश मृत्यु होने का औसत विश्व के अन्य देशों, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका आदि से कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खानों में श्रमिकों की इस प्रकार की मौतें रोकने हेतु कोई विशेष प्रबंध किए हैं; और

(ग) नेशनल काउंसिल फार सेफ्टी इन माइंस विभाग के कर्मचारियों को किस विभाग में खपाया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) भारत में कोयला खानों में कार्यरत प्रति हजार कर्मकारों की मृत्यु दरें सामान्यत : कुछ विकसित देशों की तुलना में कम हैं। भारत में और कुछ अन्य देशों में मृत्यु दरों का तुलनात्मक विवरण तथा साथ ही भारत में गैर-कोयला खानों में मृत्यु दरों का एक विवरण संलग्न है। विदेशों में गैर-कोयला खानों में मृत्यु दरों की सूचना नहीं रखी जाती है।

[देखिए परिशिष्ट–148 अनुपत्र संख्या–123]

(ख) भारत में खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके प्रावधानों की सतत पुनरीक्षा की जाती है और खानों में सुरक्षा की पूर्ण स्थिति में सुधार लाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। खान अधिनियम, 1952 को वर्ष 1983 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। कुछ मुख्य संशोधन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, खानों में नियोजन के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम आयु में वृद्धि, कर्मकारों के निरीक्षकों की नियुक्ति करके और सुरक्षा समितियों का गठन करके सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए दण्डों को बढ़ाने से संबंधित है।

(ग) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद को समाप्त नहीं किया गया है और इस परिषद् का कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में खपाया नहीं गया है।

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े हुए कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट भंडार

2816. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़ी मात्रा में आयातित कैल्शियम का भंडार जमा है;

(ख) यदि हां तो कितनी मात्रा उपलब्ध है और क्या कारपोरेशन ने उसकी बिक्री के लिए टेंडर आमंत्रित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने गत वर्ष निगम को इस उर्वरक को बेचने के आदेश दिए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार आदेशों के इस संबंध में बरती गयी लापरवाही के बारे में विस्तृत जांच करेगी और इस संबंध में तथ्यों का पता लगायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास